कम्प्यूटर-परिपत्र सं० - 1415048 दिनांक 18/7/14

पत्र संख्या-आई0टी0-एन.आई.सी. साफ्टवेयर पत्रा0 /2014-15 / 309 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(आई0टी0-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ:: दिनांक : 18 जुलाई, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)/(अपील)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) /(वि0अनु0शा0) /
(कारपोरेट सर्किल) / (टैक्स आडिट)
समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिशनर /वाणिज्य कर अधिकारी
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

आप सभी को अवगत कराना है कि विभागीय संसूचनाओं के परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक Information Sharing System विभागीय VYAS Central Software पर विकसित किया गया है जिसका उपयोग करते हुए अधिकारी आन लाइन ही संसूचनाओं के प्राप्त करने या आदान-प्रदान करने का लाभ उठा सकते हैं । साथ ही वि0अनु0शा0 इकाइयों में कार्यरत अधिकारी किसी गोपनीय सूचना को किसी विभागीय कार्यालय से प्राप्त करना या उसे प्रेषित करना चाहते हैं , तो ऐसी संसूंचनाओं के परस्पर आदान-प्रदान के लिए भी उपरोक्त System का आन लाइन प्रयोग कर सकते हैं ।

इस Information Sharing System में यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि कोई विभागीय अधिकारी किसी बिन्दु पर विधिक अथवा प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह इसके लिए To Office के विकल्प में Training Institute को Select करके ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं ।

उपर्युक्त Information Sharing System का उपयोग करने के लिए निम्न प्रक्रिया अवधारित की जाती है :-

1. अधिकारियों द्वारा व्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर सिक्योर्ड यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड से लाग इन किया जायेगा ।
2. लाग इन करने के पश्चात Help Desk Menu के अन्तर्गत Information Sharing System के लिंक पर क्लिक किया जायेगा ।
3. उक्त लिंक पर क्लिक करने पर Information Sharing Main Page उपलब्ध होगा जिसके बांये भाग पर Menu में निम्न Option उपलब्ध होगें :-

   (1). Write (2) Inbox (3) CC (4) Sent Box (5) Replied Mail (6) Draft
4. यदि किसी व्यापारी अथवा अन्य प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना किसी कार्यालय अथवा कार्यालयों के साथ Share की जानी है अथवा सूचना प्राप्त करने के सन्दर्भ में प्रेषित की जानी है तो Menu में Write के Option पर Click किया जायेगा ।
5. यदि सूचना पंजीकृत व्यापारी से सम्बन्धित है तो Registered Dealer के Radio Button पर Click करके टिन अंकित किया जायेगा । टिन अंकित करने पर डेटाबेस से फर्म का नाम व पता , कर निर्धारण कार्यालय का नाम सिस्टम से स्वत: अंकित हो जायेगा । इसके पश्चात जिस कार्यालय के साथ सूचना

Share की जानी है उससे सम्बन्धित लोकेशन तथा Office Name को Drop down से Select किया जायेगा। यदि एक से अधिक कार्यालयों से सूचना प्रेषित की जानी है तो Add के बटन पर क्लिक करके एक से अधिक कार्यालयों को सूचना प्रेषित की जा सकती है।

6. यदि सूचना अपंजीकृत व्यापारी से सम्बन्धित है तो व्यापारी का नाम व पता अंकित किया जायेगा। इसके पश्चात जिस कार्यालय के साथ सूचना Share की जानी है उससे सम्बन्धित लोकेशन तथा Office Name को Drop down से Select किया जायेगा। यदि एक से अधिक कार्यालयों से सूचना प्रेषित की जानी है तो Add के बटन पर क्लिक करके एक से अधिक कार्यालयों को सूचना प्रेषित की जा सकती है।

7. इसके पश्चात Remarks by Officer Field में सम्बन्धित सूचना का विवरण अंकित किया जाएगा। यदि विवरण को हिन्दी में यूनीकोड में अंकित किया जाना हो तो Entry Field में ऊपर स्थित चेक बाक्स पर Tick करके विवरण हिन्दी में अंकित किया जा सकता है। By Default अंकन हेतु English भाषा उक्त क्रम में सूचना अंकन हेतु उपलब्ध रहेगी।

7. समस्त विवरण के अंकन के पश्चात Send पर क्लिक करने पर ऐसे विवरण के संबंध में यूनिक नं0 प्राप्त हो जायेगा जो 14 Digit का होगा तथा समस्त विवरण संबंधित कार्यालय के अधिकारी के लाग इन पर उपलब्ध हो जायेंगे।

8. यदि विवरण को Partially अंकित करके Save करना है तो Save in Draft के बटन पर क्लिक करके विवरण को Draft के रूप में Save किया जा सकता है।

9. अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय को प्रेषित विवरण / विवरणों को देखने के लिए Inbox पर क्लिक किया जायेगा। यदि किसी विवरण का Reply प्रेषित करना आवश्यक है तो Reply के बटन पर क्लिक करके ऐसे विवरण के सम्बन्ध में Reply किया जा सकता है।

10. यदि किसी विवरण को कई अधिकारियों को कापी के रुप में प्रेषित किया जाना है तो Carbon Copy to Multiple Offices पर उपलब्ध Drop down में से सम्बन्धित कार्यालयों कों Select किया जा सकता है।

11. जिन विवरणों से सम्बन्धित Reply प्रेषित की जा चुकी है उनका विवरण Replied Mail में उपलब्ध रहेगा तथा अधिकारी द्वारा जो विवरण प्रेषित किया गया है उसकी सूचना Sent Box में उपलब्ध होगी।

उपरोक्त के संबंध में M.I.S. Reports विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी जिनका निरन्तर अनुश्रवण करते हुए सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु इनका उपयोग किया जाए।

Mb
17.7.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश